न्यायालय – अपर सेशन न्यायाधीश सं0 1 हनुमानगढ़।

पीठासीन अधिकारी	–	दीपक पाराशर आर.जे.एस.(डी.जे.केडर)
सेशन प्रकरण सं0	–	22/2025
सी.आई.एस. नंबर	–	50/2025
C.N.R. Number	–	RJHG010007942025
प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0	–	69/2025 पुलिस थाना महिला हनुमानगढ।

राजस्थान राज्य

बनाम

राहुल कुमार पुत्र बिरमा राम उर्फ राजेश कुमार, निवासी प्रेमसुख कॉलोनी वार्ड नंबर 33 हनुमानगढ टाउन।

––अभियुक्त

अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थिति –
विद्वान अपर लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।

श्री सुशील छाबड़ा, अधिवक्ता परिवादी की ओर से।

श्री अमोलक सिंह अधिवक्ता– अभियुक्त की ओर से।

A

Date of Offence	**30-11-2024**
Date of FIR	**03-04-2025**
Date of Chargesheet	**02-05-2025**
Date of Framing of Charges	**10-12-2025**
Date of commencement of evidence	**03-02-2026**
Date on which judgment is reserved	**13-07-2026**
Date of the Judgement	**13-07-2026**
Date of the Sentencing Order, if any	--------------

B: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr. PC
1	राहुल कुमार पुत्र बिरमा राम उर्फ राजेश कुमार, निवासी प्रेमसुख कॉलोनी वार्ड नंबर 33 हनुमानगढ टाउन	**10.04.2025**	**11.06.2025**	धारा 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता	**दोषमुक्त** 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता	---	---

PART-II

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
PW. 1	एस	पीडिता
PW. 2	सविता डाल	अनुसंधान अधिकारी/चार्जशीट
PW. 3	सुरेश	पिता मुस्तगीस/गवाह नक्शा मौका
PW. 4	रेखा	मौसी पीडिता
PW. 5	अम्बिका	एफएसएल सैम्पल बाबत
PW. 6	डा. शिप्रा	पीडिता के मेडिकल मुआयना बाबत

LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	Exp P-1	पुलिस बयान पीडिता ''एस''
2	Exp P-2	पर्चा एफआईआर
3	Exp P-3	चाक एफआईआर
4	Exp P-4, 4ए	नक्शा मौका/हालात मौका घटनास्थल
5	Exp P-5	धारा 183 बीएनएसएस के तहत लेखबद्ध किये गये बयान
6	Exp P-6	वीडियोग्राफी रिकॉर्ड बयान ''एस''
7	Exp P-7	अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ द्वारा लेखबद्ध की गई आदेशिका
8	Exp P-8	थानाधिकारी, पुलिस थाना महिला हनुमानगढ द्वारा चिकित्सा प्रभारी राजकीय चिकित्सालय, हनुमानगढ को भेजा गया पत्र
9	Exp P-9	मेडिकल जांच के समय पहचान संबंधी प्रफॉर्मा पीडिता
10	Exp P-10	वीडियोग्राफी से संबंधित प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 63(4)(सी) भारतीय साक्ष्य अधिनियमधारा 183 बीएनएसएस के तहत लेखबद्ध
11	Exp P-11	धारा 183 बीएनएसएस के तहत बयान लेखबद्ध करवाने हेतु अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखा गया पत्र

12	Exp P-12	बयानों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु तहरीर थानाधिकारी
13	Exp P-13	न्यायालय से प्राप्त गोपनीय पत्र
14	Exp P-14	लिफाफा
15	Exp P-15	जोधपुर होटल के नक्शे मौके नहीं बनवाने के संबंध में लिखा गया पत्र
16	Exp P-16	फर्द गिरफ्तारी
17	Exp P-17	आरोपी की सैक्स सक्षमता संबंधी जांच हेतु एमओ कैनाल कॉलोनी हॉस्पीटल को लिखा गया पत्र
18	Exp P-18	राहुल की मेडिकल जांच के संबंध में पहचान फार्म
19	Exp P-19	मोबाइल फोरेसिंक यूनिट द्वारा एसपी हनुमानगढ को लिखा पत्र
20	Exp P-20	एफएसएल घटनास्थल निरीक्षण रिपोर्ट
21	Exp P-21	पुलिस बयान सुरेश
22	Exp P-22	पुलिस बयान रेखा
23	Exp P-23	प्रमाण पत्र धारा 63(4)(सी) भा.साक्ष्य.अधि.
24	Exp P-24	मेडीको लीगल परीक्षण पीडिता
25	Exp P-25	बायो कैमीकल परीक्षण हेतु पत्र

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
-	-	-

C. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	-	-

– <u>निर्णय</u> – <u>दिनांक – 13.07.2026</u>

1. हस्तगत प्रकरण माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, हनुमानगढ़ के यहां उपस्थित होकर प्राप्त हुआ जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. प्रकरण के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया ''एस'' ने दिनांक 03.04.2025 को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि ''प्रार्थीया सैक्टर नं 02. सरकारी स्कूल के नजदीक मदरसा वाली गली प्रेमनगर, हनुमानगढ टाउन तहसील व जिला हनुमानगढ़ की रहने वाली है। प्रार्थीया की ताई सुनिता ने फाईनेंस पर रूपये उधार लिये जो कि किस्तो पर लिए थे जिसकी प्रतिमाह किस्त राहुल कुमार पुत्र राजेश कुमार उनके घर पर लेने आता था। प्रार्थीया को अकेले देख कर वह उससे बाते करने लगा और प्रार्थीया को कहने लगा कि अगर वह उससे शादी कर ले तो वह उसे राजकुमारी की तरह रखेगा की व पैसे की कमी नहीं आने देगा। ऐसा कहकर उसने प्रार्थीया को घर में अकेली देखकर उसकी सहमति और इच्छा के विरूद्ध प्रार्थीया के साथ गलत काम किया। यह घटना दिनांक 30.11.2024 की है व इस घटना की फोटो व विडियो भी राहुल ने बना ली। दिनांक 09.12.2024 को राहुल प्रार्थीया को प्रलोभन देकर शादी का झांसा देकर उसको उसके घर से भगाकर ले गया। दिनांक 10.12.2024 को प्रार्थीया के परिवारजन के लोग उपरोक्त बात की सूचना देने के लिए पुलिस थाना हनुमानगढ टाउन गये इस बात का पता राहुल को चल गया और वह प्रार्थीया को छोडकर चला गया। चूंकि प्रार्थीया का पूर्व में मण्डी जैसतर में रिश्ता तय किया हुआ जिसका शगुन देने (रीति रिवाज) पूरा करने के लिए दिनांक 15.12.2024 को जैतसर मण्डी से उसके होने वाले पति के रिश्तेदार आने थे कि रिश्ते में दखल ना पडे और टूट ना जाये। प्रार्थीया के परिवारजन के लोगों ने बात को आगे नही बढ़ाया। इसके पश्चात दिनांक 15.01.2025 को राहुल प्रार्थीया को प्रलोभन देकर कि मैं तेरे को पैसे की कमी नहीं आने दूंगा व पूरी सुख सुविधा दुंगा व शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर भगा कर ले गया और प्रार्थीया को जोधपुर लेकर चला गया और वहां वह प्रार्थीया को एक किराए का मकान लेकर उसमें रखता रहा व प्रार्थीया से उक्त विडियों व फोटो वायरल करने की धमकी देकर लगातार बलात्कार करता रहा। प्रार्थीया के साथ मारपीट कर उससे होटलो में बर्तन साफ करवाता, मजदूरी करवाता उसमें प्रार्थीया के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया।

प्रार्थीया के पास अपने पिता और दादा के 35,000/– रूपये व कान की बाली व चांदी का ब्रेसलेट व एक जोडी पाजेब थी जिसको वह भी मुल्जिम राहुल ने खुर्द बुर्द कर दिया। दिनांक 27.03.2025 को प्रार्थीया किसी तरह राहुल से अपनी जान बचाकर अपने घर पहुंची और वह गुमसुम रही तब प्रार्थीया के परिवारजनों ने प्रार्थीया की मौसी रेखा को बुलवाया तब प्रार्थीया को मौसी रेखा ने प्रार्थीया को तसल्ली दी। प्रार्थीया ने अपनी मौसी रेखा अपनी आप बीती उपरोक्त घटना के बारे में बतलाया। इस तरह मुल्जिम राहुल ने प्रार्थीया को उसकी विडियो वायरल करने की धमकी देकर लगातार गलत काम बलात्कार किया व प्रार्थीया के जेवरात व रकम खुर्द बुर्द कर दी प्रार्थया से दासता का कार्य भी करवाया है....आदि। जिस पर उक्त लिखित रिपोर्ट पर पुलिस थाना महिला हनुमानगढ द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 69/25 पंजीबद्ध की जाकर बाद अनुसंधान मुलजिम राहुल के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता में आरोप पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जहां उक्त मुलजिम के विरूद्ध उक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण उपार्पित कर सेशन न्यायाधीश को प्रेषित किया, जहां से प्रकरण सुनवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

3. बहस आरोप सुनने के पश्चात अभियुक्त राहुल के विरूद्ध धारा 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

4. साक्ष्य अभियोजन में सूची में वर्णित गवाहान को अभियोजन ने परीक्षित करवाया तथा 25 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया। प्रकरण में परिवादिया के पक्षद्रोही घोषित होने और तात्विक गवाहान की साक्ष्य लेखबद्ध होने से अन्य साक्षीगण को बुलाये जाने का कोई औचित्य नहीं होने से साक्ष्य अभियोजन बंद की गई।

5. उक्त अभियुक्त के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 351 बीएनएसएस पृथक से लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अपने विरूद्ध आई साक्ष्य से इनकारी करते हुए उसे झूठा फंसाने का कथन किया और कोई साक्ष्य सफाई प्रस्तुत करना नहीं चाही।

6. बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस में विद्वान अपरलोक अभियोजक का तर्क है कि उनकी ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त दोषी साबित हो रहा है। अतः उसे दोषसिद्ध घोषित किया जावे।

7. जिसका विरोध करते हुये अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में पीडिता सहित अन्य समस्त महत्वपूर्ण गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं। कोई भी गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। घटना दिनांक 30.11.2024 की है जबकि पुलिस को घटना दिनांक 03.04.2025 को दी गयी है। देरी का कोई स्पष्टीकरण पीडिता द्वारा नहीं बताया गया है। पीडिता ने स्वयं जोधपुर जाने से इन्कार कर दिया गया है। वह अभियुक्त के साथ कई स्थान पर गयी, परन्तु उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। पीडिता के शरीर व प्राईवेट पार्ट पर कोई चोट आदि के निशान नहीं है, जिस कारण अभियोजन की साक्ष्य से अभियुक्त दोषसिद्ध नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. मेरे द्वारा उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत तथ्यों व तर्कों का मनन किया गया। पत्रावली व संबंधित विधि का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारण बिंदू यह है कि–

1. **"आया अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.11.2024 के पश्चात दिनांक 09.12.2024 एवं तत्पश्चात दिनांक 15.01.2025 को किसी समय वाक्या स्थान मकान पीडिता सैक्टर नं. 02 वार्ड नं. 39 प्रेम नगर हनुमानगढ टाउन में पीडिता ''एस'' का उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह आदि करने के लिए विवश करने के आशय से या आयुक्त संभोग करने के लिए संभाव्य जानते हुए उसका अपहरण कर उसकी सम्मति व इच्छा के विरूद्ध हनुमानगढ अथवा जोधपुर में**

जबरदस्ती लैंगिक संभोग कर बार–बार बलात्कार किया और पीडिता ''एस'' के वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे क्षति करने के भय में डालकर रूपये परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित कर पीडिता से 35,000/–रूपये, कान की बाली, चांदी का ब्रेसलेट व एक जोडी पायजेब को बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग कर पीडिता के साथ मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?''

2. यदि हां तो अभियुक्त किस दण्ड से दंडनीय है?

9. इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 06 गवाहान को परीक्षित करवाया गया है। प्रकरण का उद्भव ''एस'' द्वारा दर्ज करवाई गई पर्चा एफआईआर प्रदर्श पी–02 जिसके आधार पर चाक एफआईआर प्रदर्श पी–03 दर्ज हुई, से हुआ है। पीडिता ''एस'' पी.ड. 1 के रूप में परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुई है। जिसने न्यायालय के समक्ष हुए अपने सशपथ कथनों में राहुल उसे कहीं लेकर नहीं गया, उसकी राहुल ने अपने फोन से कोई फोटो वगैरा नहीं बनाई थी। राहुल ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया, दिनांक 15.01.2025 को राहुल उसको जोधुपर नहीं लेकर गया था, उसके कोर्ट में बयान पुलिस ने धक्के से करवाये थे, उसने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया, सिर्फ खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे, का कथन किया है।

जिरह में इस गवाह द्वारा पुलिस बयान प्रदर्श पी 1 व प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 2 का हिस्सा सी से डी लिखवाने से इन्कारी करने का कथन करते हुए प्रदर्श पी 3 पर उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने, कोर्ट बयान प्रदर्श पी 5 पुलिस वालों के कहने से लिखवाने का कथन करते हुए प्रदर्श पी 6 पर खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाने तथा प्रदर्श पी 7 पर पुलिस वालों के कहने पर हस्ताक्षर करने का कथन करते हुए यह भी कथन किया कि यह कहना गलत है कि राहुल ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध उसे अकेली पाकर दिनांक 30.11.2024 को गलत काम किया हो। यह कहना गलत है कि राहुल ने उसकी

अश्लील वीडियो तैयार की हो, जिसका भय दिखाकर उसके साथ गलत काम किया हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 09.12.2024 को राहुल उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया हो। यह कहना भी गलत है कि दिनांक 15.01.2024 को राहुल उसे जोधपुर ले गया हो और उसके साथ गलत काम किया हो। यह कहना गलत है कि जोधपुर से आकर पूरी घटना उसने अपनी मौसी को बतायी हो। यह कहना सही है कि राहुल उसे कहीं पर नहीं ले गया, वह अपनी इच्छा से गयी थी।

पीडिता ''एस'' की मौसी रेखा भी पी.ड. 4 के रूप में परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुई है। जिसने न्यायालय के समक्ष हुए अपने सशपथ कथनों में कथन किया है कि दिनांक 09.12.2024 को ''एस'' वापस घर आई। उसने अपने मम्मी, पापा और दादा जी को क्या बताया उसे ध्यान नहीं। ''एस''किसके साथ गई, इस बाबत उसे ध्यान नहीं, न ही ''एस'' ने उसे कोई बात बताई का कथन करते हुए जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 22 का हिस्सा ए से बी लिखवाने से इन्कारी करने का कथन किया है तथा यह भी कथन किया है कि यह कहना गलत है कि ''एस'' ने उसे राहुल द्वारा घर से भगाकर ले जाना, अश्लील वीडियो बनाना और अश्लील वीडियो का भय दिखाकर गलत काम करने बाबत बताया हो। प्रदर्श पी 6 पर हस्ताक्षर पुलिस वालों ने कब और कहां करवाये वह नहीं बता सकती। यह कहना भी गलत है कि ''एस'' द्वारा 35000/–रूपये, कानों की बाली, चांदी का ब्रेसलेट और एक जोडी पायजेब राहुल ने ''एस'' से विश्वास में लेकर खुर्द बुर्द करने की बात उसने लिखवायी हो।

पीडिता ''एस'' का पिता सुरेश पी.ड. 3 के रूप में परीक्षित होकर पक्षद्रोही घोषित हुआ है जिसने न्यायालय के समक्ष हुए सशपथ कथनों में ''एस'' को राहुल द्वारा भगाकर ले जाने का कथन करते हुए यह कथन किया है कि दिनांक 27.03.2025 से ''एस'' घर आ गयी थी। उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। रेखा ने उसे कुछ नहीं बताया। राहुल द्वारा धोखा देने और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में ''एस'' ने उन्हें कुछ नहीं बताया। नक्शा मौका प्रदर्श पी 4 पर ई से एफ उसने खाली कागजों पर हस्ताक्षर किये थे। ''एस'' ने प्रार्थना पत्र

प्रदर्श पी 15 दिया या नहीं उसे नहीं पता का कथन करते हुए जिरह में पुलिस बयान प्रदर्श पी 21 का हिस्सा ए से बी लिखवाने से इन्कारी करने का कथन करते हुए कथन किया है कि यह कहना गलत है कि लडकी ने उसे घटना के बारे में कुछ नहीं बताया हो। यह कहना गलत है कि उसकी बेटी को राहुल भगाकर ले गया हो।

मुकदमा की अनुसंधान अधिकारी पी.ड. 2 सविता डाल परीक्षित हुई है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में मुकदमा के अनुसंधान बाबत कथन किया है कि दिनांक 03.04.2025 को वह महिला थाना हनुमानगढ़ में एसएचओ के पद पर कार्यरत थी। उस रोज प्रार्थीया सुहाना ने एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी02 उसके समक्ष पेश किया था जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है, ई से एफ पुलिस कार्यवाही का पृष्ठांकन है। उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर एफआईआर 69/2025 दर्ज की गई थी जो प्रदर्शपी० 3 है जिस पर एक्स स्थान पर उसके डिजिटल हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् उसके द्वारा उक्त प्रकरण में अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान उसके द्वारा गवाहान सुहाना, ताराचंद, रेखा, सुरेश कुमार के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किए तथा घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी 04 तैयार किया था जिस पर ए से बी सुहाना, सी से डी ताराचंद, ई से एफ गवाह के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त नक्शा मौका का हालात मौका उसके द्वारा तैयार किया गया था जो प्रदर्शपी04 ए है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पीडिता के बलात्कार संबंधी मेडिकल मुआयना करवाने हेतु एम.ओ साहब को पत्र लिखा था जो प्रदर्शपी08 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। पीडिता की मेडिकल जांच के समय उसकी पहचान संबंधी प्रफॉर्मा प्रदर्शपी09 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। उसके द्वारा पीडिता के बयान रिकॉर्ड किए थे व विडियो रिकॉडिंग की फर्द प्रदर्शपी 06 तैयार की थी जिस पर ए से बी सुहाना, सी से डी, ई से एफ गवाहान के व जी से एच उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त विडियोग्राफी से संबंधित प्रमाण पत्र अन्तर्गत धारा 63 (4) (C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम उसके द्वारा दिया गया था जो प्रदर्शपी 10 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पीड़िता के 183 बीएनएसएस के बयान लेखबद्ध

करवाने हेतु अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ को लिखा पत्र प्रदर्शपी 11 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ द्वारा पीड़िता के बयान अन्तर्गत धारा 183 बीएनएसएस के बयान लेखबद्ध किये गये थे जो प्रदर्शपी05 है तथा उक्त बयानों की आदेशिका प्रदर्शपी07 है जिस पर ए से बी सुहाना के, सी से डी उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त बयानों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए उसके द्वारा लिखी तहरीर प्रदर्शपी 12 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। न्यायालय से प्राप्त गोपनीय पत्र प्रदर्शपी 13 है तथा कवर नोट प्रदर्शपी 14 है जो उसके द्वारा प्राप्त कर शामिल पत्रावली किए गये थे। सुहाना द्वारा जोधपुर होटल के नक्शे मौका के संबंध में उसे लिखा गया प्रार्थना पत्र प्रदर्शपी 15 है जिस पर ए से बी सुहाना के, सी से डी उसके हस्ताक्षर, ई से एफ कार्यवाही पुलिस का पृष्ठांकन, जी से एच सुरेश के हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा पीडिता का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट शामिल पत्रावली की थी। पत्रावली पर आए तथ्यों, दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर जुर्म प्रमाणित मानकर मुलजिम राहुल पुत्र बिरमाराम को उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था जिसकी फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी 16 है जिस पर ए से बी उसके, सी से डी सुरेन्द्र के, ई से एफ मुलजिम राहुल के हस्ताक्षर हैं, एक्स स्थान पर बिरमाराम की अंगूठा निशानी है, वाई स्थान पर मुलजिम राहुल की फोटो चस्पा है। मुलजिम राहुल के सेक्स सक्षमता संबंधी जांच हेतु उसके द्वारा एमओ साहब कैनाल कॉलोनी हॉस्पीटल को लिखा गया पत्र प्रदर्शपी 17 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं तथा राहुल की मेडिकल जांच के संबंध में पहचान फॉर्म प्रदर्शपी 18 है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं, सी से डी राहुल के हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल के निरीक्षण हेतु मोबाइल फोरेसिंक यूनिट हनुमानगढ़ को बुलाया गया था। फोरेसिंक यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर घटनास्थल की फोटोग्राफी की गई थी। उक्त फोटोग्राफी व उसके संबंध में अंबिका प्रभारी द्वारा दिया गया 63 (4) (C) भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र व निरीक्षण रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त मोबाइल फोरेसिंक यूनिट द्वारा पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रपत्र प्रदर्शपी 19 है।

रिपोर्ट प्रदर्शपी 20 है जो कुल 06 पृष्ठों में है जिसमें एक्स स्थान पर चार फोटोग्राफ चस्पा है, पृष्ठ संख्या 06 पर फोटोग्राफी का प्रमाण पत्र संलग्न हैं। उपरोक्त अनुसंधान द्वारा मुलजिम राहुल पुत्र बिरमाराम के विरूद्ध जुर्म धारा 64 (2) (M), 87, 316 (2), 308 (2), 115 (2) बीएनएस का प्रमाणित पाया गया था तथा उक्त अपराध मानते हुए सक्षम न्यायालय में मुलजिम के खिलाफ उसके द्वारा चालान पेश किया गया।

जिरह में इस गवाह की साक्ष्य मुकदमा के अनुसंधान करने बाबत पूर्णतया अखण्डनीय रही है। जिरह में इस गवाह द्वारा कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि स्वयं पीडिता ने जोधपुर जाने से इन्कार कर दिया था। यह कहना सही है कि पर्चा एफआईआर में घटना दिनांक 30.04.2024 की है जबकि पुलिस को सूचना दिनांक 03.04.2025 को दी गई है। अजखुद कहा कि दिनांक 30.11.2024 के बाद लगातार घटना होना बताई है।

पी.ड. 6 डा. शिप्रा पीडिता का मेडिकल मुआयना करने बाबत चिकित्सा अधिकारी होकर गवाह है। इस गवाह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में मुआयने के दौरान ''एस'' के शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं पाने, चूंकि घटना 6 से 7 महीने पुरानी थी इसलिए एफएसएल रिपोर्ट के लिए कोई सैम्पल नहीं लेने का कथन करते हुए यह अभिकथन किया है कि उसकी राय के अनुसार बलात्कार की संभावना से पूर्णतया ना तो हां कही जा सकती है, ना ही ना कही जा सकती है। जिरह में इस गवाह द्वारा यह कथन किया गया है कि यह कहना सही है कि पत्रावली पर ऐसी कोई निश्चयात्मक मेडिकल रिपोर्ट नहीं है जिसके आधार पर यह निश्चित किया जा सके कि पीडिता के साथ बलात्कार हुआ ही हो। यह कहना सही है कि पीडिता के शरीर के आंतरिक और बाहरी अंगों पर मेडिकल मुआयना के समय किसी भी तरह चोट आदि के कोई निशान नहीं थे।

ऐसी स्थिति में जबकि पीडिता ''एस'' स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुई है और अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं कर रहा है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत कोई भी गवाह अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता है। पीडिता स्वयं

द्वारा राहुल उसे कहीं भगाकर नहीं ले जाने, कोई अश्लील वीडियो व फोटो नहीं बनाने व कोई गलत काम नहीं किये जाने का कथन कर रही है। ऐसी स्थिति में पीडिता स्वयं के पक्षद्रोही घोषित होने, किसी भी गवाह द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करने व चिकित्सकीय रिपोर्ट भी अभियोजन का समर्थन नहीं करने से अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध धारा 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप साबित करने में पूर्णतया असफल रहा और यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.11.2024 के पश्चात दिनांक 09.12.2024 एवं तत्पश्चात दिनांक 15.01.2025 को किसी समय वाक्या स्थान मकान पीडिता सैक्टर नं. 02 वार्ड नं. 39 प्रेम नगर हनुमानगढ टाउन में पीडिता ''एस'' का उसकी इच्छा के विरूद्ध विवाह करने के लिए विवश करने के आशय से या आयुक्त संभोग करने के लिए संभाव्य जानते हुए उसका अपहरण कर उसकी सम्मति व इच्छा के विरूद्ध हनुमानगढ अथवा जोधपुर में जबरदस्ती लैंगिक संभोग कर बार-बार बलात्कार किया और पीडिता ''एस'' के वीडियो व फोटो वायरल करने की धमकी देकर उसे क्षति करने के भय में डालकर रूपये परिदत्त करने हेतु उत्प्रेरित कर पीडिता से 35,000/-रूपये, कान की बाली, चांदी का ब्रेसलेट व एक जोडी पायजेब को बेईमानी से दुर्विनियोग कर आपराधिक न्यास भंग कर पीडिता के साथ मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की हो।

अतः अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र बिरमा राम उर्फ राजेश कुमार, निवासी प्रेमसुख कॉलोनी वार्ड नंबर 33 हनुमानगढ टाउन को धारा 64(2)(एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाना सर्वथा न्यायोचित है।

<u>- आदेश-</u>

10. अतः अभियुक्त राहुल कुमार पुत्र बिरमा राम उर्फ राजेश कुमार, निवासी प्रेमसुख कॉलोनी वार्ड नंबर 33 हनुमानगढ टाउन को धारा धारा 64(2) (एम), 87, 316(2), 308(2), 115(2) भारतीय न्याय संहिता भारतीय न्याय

संहिता के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है। अभियुक्त की नियमित उपस्थिति के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

11. अभियुक्त अन्तर्गत धारा 437 ए सीआरपीसी के तहत पांच हजार रूपये स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की एक जमानत इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे कि निर्णय की अपील होने पर अपीलीय न्यायालय द्वारा तलब करने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जायेगा। प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील अथवा अपील के निर्णयाधीन नियमानुसार निस्तारित किये जावें।

(दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 1
हनुमानगढ़

12. निर्णय एवं आदेश आज दिनांक 13.07.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीपक पाराशर)
अपर सेशन न्यायाधीश सं0 1
हनुमानगढ़

नोट – मूल (Original Document) से मिलान किया गया।

RAMIT
LEKHRA

Digitally signed by
RAMIT LEKHRA
Date: 2026.07.15
13:01:25 +0000